राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	03/2022 जगदीश / कान्हा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/03/22	आज यह दोनों अपील पत्रावलीयां लोक अदालत में वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। पक्षकारान एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामे का अवलोकन किया। लोंक अदालत की भावना के मध्यनजर पक्षकारान राजीनामा अनुसार प्रकरण को निस्तारण कराये जाने हेतु सहमत है एवं इस हेतु पक्षकारान एवं उनके अभिभाषकगणों द्वारा प्रारम्भिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री जैर अपीले निरस्त करते हुये प्रार्थना पत्र राजीनामे में अंकित अनुसार वाद को ख़ारिज फरमाते हुये पक्षकारान को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर बहामी बंटवारा जो पक्षकारान द्वारा पूर्व से किया गया है के अनुसार तकासमा करवाए जाने के आदेश प्रदान किये जावे। अत: प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमती/राजीनामा के आधार पर प्रारम्भिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री जैर अपीले दिनांक 01/06/2017 व 08/01/2019 निरस्त किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 06/2013 ख़ारिज किया जाता है। तदनुसार दोनों अपीलें अपीलार्थीगण राजीनामा अनुसार निस्तारित की जाती है। पक्षकारान तहसीलदार के समक्ष सहमती से तकासमाँ हेतु स्वतंत्र रहेंगे।तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश की एक-एक प्रति दोनों अपील पत्रावली पर सलग्न की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	